

फर्द अहकाम

(नियम 25)

न्यायालय सहायक कलक्टर बापिणी कैम्प ग्रामीण सेवा शिविर-2025  
धन्नाराम बनाम तहसीलदार बापिणी

मुकदमा 136 एल.आर.एल. एक्ट

नम्बर :- 2025/135

तारीख	हुक्म या कार्यवाही	वि.वि.
	<p>प्रार्थी धन्नाराम पुत्र जेताराम जाति जाट मगनाराम पुत्र जेताराम जाति जाट निवासी उनावड़ा आज ग्रामीण सेवा शिविर अभियान-2025 कैम्प मतोड़ा ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम उनावड़ा के खाता संख्या 71 रकबा 24.3216 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम धन्नाराम पुत्र जेताराम जाति राजपूत मगनाराम पुत्र जेताराम जाति राजपूत दर्ज है जो अशुद्ध है।</p> <p>प्रार्थी का शुद्ध नाम धन्नाराम पुत्र जेताराम जाति जाट मगनाराम पुत्र जेताराम जाति जाट है। साक्ष्य के तौर पर प्रार्थी द्वारा परिवार आधार कार्ड नम्बर 7077 3627 8321 एवं अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम रमजान खां पुत्र करीम खां दर्ज है जो शुद्ध है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी निम्बों का तालाख भूअ.नि. मतोड़ा एवं तहसीलदार बापिणी से रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट में इन्होंने प्रार्थी का रमजान खां पुत्र करीम खां शुद्ध करने की अनुशंसा की है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उनावड़ा के खाता संख्या 71 में प्रार्थी का नाम धन्नाराम पुत्र जेताराम जाति जाट मगनाराम पुत्र जेताराम जाति जाट राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	